न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 22/2021 (राजसमन्द आर्डर)

भूरालाल पिता दौला जी ब्राहमण, निवासी रिछेड, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. हीरालाल पिता लक्ष्मणलाल जी ब्राहमण, निवासी रिछेड, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती केसीबाई बेवा लक्ष्मणलाल जी ब्राहमण, निवासी रिछेड, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती दाखुबाई बेवा लक्ष्मणलाल जी ब्राहमण, निवासी रिछेड, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)
5. उप पंजीयक महोदय, गढ़बोर, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ दिनांक
02–09–2021 प्रकरण संख्या 45/2021

———::———

उपस्थित :– 1– श्री पुष्कर लोहार अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री गिरजा शंकर मेहता अभिभाषक रे.सं. 1 से 3
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय　　　　दिनांक 19–10–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रिछेड में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट ''अ'', ''ब'', ''स'' व ''द'' वर्णित भूमियां स्थित है। प्रार्थी व विपक्षी का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर मूल पुरूष रूपा जी थे, जिनके दो पुत्र हेमराज व दौला हुए। हेमराज का पुत्र लक्ष्मण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:01:08 IST
Reason: SelfAttested

हुआ, जबकि दौला के कोई पुत्र नहीं होने से उसने भूरा को गोद रखा, जिसका पुत्र प्रार्थी भंवरलाल व अन्य पुत्र प्रकाश, भवानी व नरेश हुए। उक्त आराजियात पैत्रृक होने से संयुक्त हिन्दु परिवार की सहदायी है, जिसमें प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा निहित है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 6 अनुसार सभी पक्षकारान का हिस्सा निहित है, जिससे प्रार्थी अपने हिस्से की घोषणा कराने का अधिकारी है, किन्तु उक्त भूमि विपक्षी भूरा अकेले के नाम दर्ज होने से विक्रय करने पर उतारू हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षी जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विपक्षी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 02–09–2021 से विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पूर्व में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 12–09–2021 व 15–03–2021 को अपास्त कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18–10–2021 को प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री गिरजा शंकर मेहता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम रिछेड की आराजी नंबर 6335, 6352, 6372, 6404, 6405, 6406, 6410, 6446, 6447, 7418/6342, 7420/6343 कुल किता 11 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा 10 बिस्वांसी जो अपीलान्ट/प्रार्थी एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 3 के नाम संयुक्त रूप से अंकित है, जिसमें अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा व विपक्षी संख्या 1 से 3 का 1/3 हिस्सा है। विपक्षी संख्या 1 से 3 बिना विभाजन के मनमाफिक तरीके से मौके पर दुकाने व अन्य निर्माण कार्य करने लगे तो अपीलान्ट ने उसे रूकवाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय से अनुरोध किया, जिस पर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी गयी, किन्तु बाद में अपने आदेश दिनांक 02–09–2021 से उक्त अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को अपास्त कर दिया, जो पूर्णतया गलत होकर विधि विरूद्ध है। अतः प्रकरण संख्या 45/2021 में पारित आदेश दिनांक 02–09–2021 अपास्त किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 12–02–2021 व 15–03–2021 को पुनः बहाल किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:01:08 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02–09–2021 को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12–02–2021 से प्रार्थी/अपीलान्ट के पक्ष में अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की। तत्पश्चात् पुनः दिनांक 15–03–2021 को उभयपक्ष द्वारा मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया। किन्तु दिनांक 02–09–2021 को अपने आदेश में यह अंकित किया कि ''अन्य प्रकरण संख्या 23/2012 भंवरलाल बनाम भूरा में दिनांक 07.08.2012 को उभयपक्षकारान मूलवाद के निर्णय तक यथास्थिति बनाये रखने हेतु आपस में सहमत होने से दोनों पक्षकारान यथास्थिति बनाये रखने का आदेश है एवं प्रकरण संख्या 102/2020 हिरालाल बनाम भूरालाल में दिनांक 22.12.2020 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने व वाद विचाराधीन होने की प्रार्थी को पूर्ण जानकारी होने के बावजूद पुनः अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की है।'' उक्त आधार पर विपक्षी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पूर्व में जारी अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 12–02–2021 व 15–03–2021 अपास्त कर दी जो विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त योग्य है, क्योंकि प्रार्थी/अपीलान्ट के कथनानुसार मौके पर लगातार निर्माण कार्य जारी है यदि इसे नहीं रोका गया तो पक्षकारान के मध्य और विवाद बढ़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता एवं मूलवाद का उद्देश्य की समाप्त हो जायेगा। इसलिए मूलवाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाना हम उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 02–09–2021 अपास्त किया जाता है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 12–02–2021 व 15–03–2021 को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 19–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:01:08 IST
Reason: SelfAttested